



1996
4165
3859
1315

9085
1614

Free Copy
16-5-56

This deed of sale made this 13th day of May one thousand nine hundred and Ninety Six of the Christian Era. Between Md Atangir son of late Md Rampan Kti, by faith muslim, by occupation service, resident of Dr. Fatehullah Road, P.S. Lower Bazar, District Ranchi (hereinafter called the vendor) of the first part. And Sri prabhat Kumar son of Sri Vibaran Chandra, by faith Hindu, by occupation business, resident of village Olgaera, P.S. Pindrapora, District Bokaro at present of village Morabadi, P.S. Barhiya, District Ranchi (hereinafter called the purchaser) of the other part. (P/1) The expression vendor and purchaser unless repugnant to the context shall mean and include their respective heirs, legal representatives and assigns. Whereas all the piece and parcel of land comprising an area of 57 decimals of khatas no. 44, khatat no. 2, R.S. Plot No 337 at village Morabadi, P.S. Barhiya, District Ranchi originally belonged to Hari munda who sold the land to Syed Anwar Hussain Khan son of late Syed Azhar Hussain and Syed Sadique Kti them by virtue of a Registered Deed of sale dt 15-3-1963 after obtaining permission from Deputy Commissioner, Ranchi by his order in M.S.C. case no. 11-F-(ii) of 1962-63 vide Deed No 2021 of the year 1963 and after the said purchase Syed Anwar Hussain Khan sold a part of the land towards extreme south measuring 10 (ten) Kathas vide R.S. Plot No 337/A to Saira Begum wife of Rayazuddin Sahib by virtue of a Registered deed of sale dt 25-7-1967 which was entered in Book No. 1, Volume 446 pages 112 to 116 vide Deed No 5928 in Ranchi District sub Registrar's Court, Ranchi and Saira Begum (P/3) came in peaceful possession of the same and mutated her name in Government Records and has been paying rent to the state of Bihar. And the vendor purchased the land measuring an area of 5 (five) Kathas of land in village morabadi with a khatraposh small old house from Saira Begum by virtue of a Registered deed of sale which was entered in Book No. 1 volume 41 pages 307 to 312 Deed No 5398 for the year 1979 date of Registration 8th day of June 1979 and thereafter mutated his name before the circle officer Jann Anukul, Ranchi vide mutation case no. 147 R-27 of 1994-95 and paid rent Rs. 1/- (Rs. one) annually and got his property assessed in the Ranchi Municipal Corporation and numbered as Holding no. 170/K-2 under ward no. VII-B new 19 of Ranchi Municipal Corporation, Ranchi. whereas the vendor approached the purchaser to purchase 5 (five) Kathas of land with a khatra khatraposh house for a sum of Rs 69000/- (Rs. sixty nine thousand) only free from all encumbrances. (P/4) whereas the purchaser agreed to purchase the property marked as 337/A more fully detailed in the schedule below and marked in Red wash as Plot No. 337/A in the sketch map annexed to this deed. Whereas an S.A.R. case



was instituted by Bana munda and others against the vendor and others and the court of Shree Patesh Kumar Special Officer, Regulations, Ranchi dismissed their petition vide S.A.R. case no. 153190-91 and decided finally on 30-11-1994 in which he held that once permission obtained from Deputy Commissioner Ranchi U/S 49 CVT Act can not be annulled U/S 71 CVT Act as it was decided by Honorable High Court Patna, (Ranchi Bench), that in pursuance of the said agreement and in consideration of Rs. 69000/- (Rs. sixty ^{nine} thousand) paid by the purchaser to the vendor (the receipt whereof the vendor hereby acknowledges) the vendor does hereby convey to the purchaser free from all encumbrances all that small old Naria tiled house and more particularly delineated in the sketch map hereto annexed. And all the estate, right, title and interest claim and demand whatsoever of the vendor on or to the property hereby conveyed and every part thereof to hold the same to the purchaser, his heirs, legal representatives and assigns.

(P/5) that vendor hereby delivers to the purchaser all deeds, evidences and writings now in his possession and the vendor and all persons claiming under him do hereby covenant with the purchaser that the vendor has absolute authority to sell the property to the purchaser and the purchaser henceforth may hereafter peaceably and quietly possess and enjoy the said property in peace without any claim or demand and whatsoever from the vendor or any person claiming under him. The vendor covenants that he shall at the request and cost of the purchaser execute or cause to be done all such lawful acts, deeds and things whatsoever for further or more perfectly conveying and assuring of the said property and every part thereof and the vendor has put the purchaser in possession thereof. That the purchaser henceforth will be the absolute owner of the property hereby devised and he will have absolute right to transfer the property by way of mortgage, sale, gift, lease etc. to any person whomsoever he likes and he will be at liberty to further construct houses, dig well, plant garden and in whatever way he likes he can enjoy. That the vendor will have no objection if the name of the purchaser is mutated before the circle officer, town Aushal, Ranchi and pay rent on his name and before Ranchi municipal corporation Ranchi and pay taxes in his own name.

(P/6) memo of consideration: - Paid before the District sub-Registrar, Ranchi by Draft No. 538328 dt 10-5-1996 Rs. 69000/- (Rs. sixty nine thousand) drawn on United Bank of India Morabaeli Branch, Ranchi.

Schedule of the property referred to above: - Land with an old Naria tiled small house situated at village Morabaeli P.S. Bariahat District Ranchi under chas no. 192 14th part 10.2, block no. 44 R.S. Plot no. 337 marked as sub plot no. 337/A comprising an area of 5 (five) Kathas more or less within the Colliery, Ranchi District Registrar and sub Registrar Ranchi Holding no. 170/K-2 ward no. 19 more fully detailed and delineated in the sketch map in Red ink annexed to this deed butted and bounded as follows: - By north: R.S. Plot no. 337/B, South: Plot no. 913



देवकी के सुहृदों का लक्ष्मी के लक्षण का विश्वास न होकर
 किता इतना चरु धान की लक्ष्मी सुहृदों को लक्ष्मी से
 लेना लक्ष्मी का लक्षण है जो कि एक चरु धान लक्ष्मी
 का निशान लक्ष्मी राधा का है एक पुत्र इतना लक्ष्मी सुहृदों
 का लक्षण है कि (131) के रूप 838328 के लक्षण के
 का सुहृदों के लक्षण है

1315186
 CEO 643 V 18/86
 MD Alampur 1315186

Recd in 60000/- Sixty thousand only
 for payment in bank A/c
 MD Alampur
 1315186

1315186
 CEO 81 V 12/86
 Syed Hafizur Rahman
 1315186

Syed Hafizur Rahman
 MD

CEO
 MD
 16/5

MD
 MD
 16/5



CEO
 MD
 16/5

VILLAGE: MORHABADI THANA NO 192
 THANA & DIST. RACHI TRUE COPY
 SCALE - 40' = 1"

R.S. PLOT NO 337 KHATA NO 44
 HSHOLDING NO - 170/K-II WARD NO 19

SUB PLOT NO	AREA
337/A	K. Ch. Sft. 255 5-0-0

AREA SHOWN IN RED WASH
 PURCHASER'S NAME: SHRI PRABHAT KUMAR



Certified that the original and duplicate copies are the true and correct copy of original.

Ch. S. Anwar

Form No. 10
 DISTRICT... Sub-division... Circle/Anahat... Taluk...
 Name of State... Taluk Number...
 CORRECTION SLIP SHOWING MUTATION IN RESPECT OF TENANCIES IN ESTATES IN GOVERNMENT

Mutation numbers in Register	Village	Thana and Thana Number	Number of tenancy to which the mutation relates	Authority sanctioning mutation with date of order	Whether mutation is due to sale gift or succession or partition	Full details of exchange affected by mutation	Date of correction of the Halka Register by the Karmachari	Remarks
308 (10) 1999	9	...
1996-99

Memo No. ... Date ...
 Circle Officer/Anahat Adhikari ...
 Circle Anahat ...
 Forwarded to the Karmachari, Halka No. ...
 Information, any necessary action ...

Sch XIV- F.No. 180v

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल | नाम मौजा मय

थाना वो थाना नम्बर

V

फरद मलकी / फरद रैयती
नाम रैयत मय वलिदयत जमाबन्दी
वो सकुनत नम्बर।

Page No. : 114
Vol. No. : 12
Receipt No. : 1488877334

बड़ागाईं | मोरहाबादी | 192 | श्री प्रभात कुमार

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
44	337	5 कठ 0 छटाक 0 वर्गफिट

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत	सालाना	बकाया				हाल (2016-2017)
		तीन वर्ष से ज्यादा (1996-1997) - (2012-2013)	३ रा वर्ष (2013-2014)	२ रा वर्ष (2014-2015)	१ ला वर्ष (2015-2016)	
माल (नकदी)	1.00	17.00	1.00	1.00	1.00	1.00
गुजारी (भावली)	0.25	4.25	0.25	0.25	0.25	0.25
सेस	0.50	8.50	0.50	0.50	0.50	0.50
सूद	0.50	8.50	0.50	0.50	0.50	0.50
मुतफरकात	0.20	3.40	0.20	0.20	0.20	0.20
मीजान	2.45	41.65	2.45	2.45	2.45	2.45

तफसील अदायकारी

अदायकारी बावत		बकाया				मौतालबा हाल (2016-2017)	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा (1996-1997) - (2012-2013)	३ रा वर्ष (2013-2014)	२ रा वर्ष (2014-2015)	१ ला वर्ष (2015-2016)		
माल (नकदी)		17.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
गुजारी (भावली)		4.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
सेस		8.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
सूद		8.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
मुतफरकात		3.40	0.20	0.20	0.20	0.20	
मीजान अदायकारी		41.65	2.45	2.45	2.45	2.45	

(१) मीजान कुल (लफजों में) : Fifty One Rupees and Fourty Five Paise

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- 51.45

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 07-03-2017

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

(1) अ

राज्यपाल, श्री राजशङ्कर, विशेष सहायक, रांची

राज्यपाल को आदेश (संख्या 158/40-4)

बोर्ड मुद्रा वन्य लिखिक सिमा

आदेश

29/11/44

महोदय आदेशक बोर्ड मुद्रा पिला स्वे जमलपुर

मुद्रा, राजशङ्कर मुद्रा, लुका मुद्रा, वैजनाथ मुद्रा सिमु

मुद्रा, लिमोन मुद्रा, गदाकेन मुद्रा, लुका मुद्रा पिला

चक्रामुद्रा रावत भाई मुद्रा वन्य बोर्ड मुद्रा लाकि

मोहावादी अना बलिमू जिलारांची के लिखित

आवेदन कोटासायु काश्त गरी आदि लिपकी लाकाय

के अन्तर्गत लिखिक मतीका के सिमा उरमाकि

गया आदेशक का आदेश है कि विपरीत उरमाकि

भूमि मीना मोहावादी के खता 2044 खेता 2044

खता-57 डिपॉजिट भूमि को दल उपय रावत ताजापद

के दल लिपिक है जिसे आदेशक का वक्षन किया

गता-यादय



लिपिकी को कोटापुत्रका 2044 उरमाकि

मती के लिये गोरिल निमित्त किया गया लिपिकी

आवेदन देकर विवादित भूमि पर दलका का रक



के लाली दमाद आवेदि, ई दानावेगम, पालना वेगम,

दरमना वेगम, खता 2044



Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

गणराज्य की स्थापना की जाते 46 में किलो ग्राम का वजन का
 का उल्लेख है कि गणराज्य में इस रूप के
 स्थापना में किलो ग्राम के दस प्रजा का लक्ष्य
 लक्ष्य है जानती है कि किलो ग्राम का पदना स्थापना
 2.7.46 को किया गया और किलो ग्राम नया मुद्रा,
 मूल्य मुद्रा, किलो ग्राम मुद्रा और किलो ग्राम स्थापना
 किलो ग्राम के मुद्रा है यह विक्रय पत्र लिख करके पदना की
 है किलो ग्राम के पदना में किया गया है। किलो ग्राम किलो
 ग्राम है अनुसूचित जनजाति के लक्षण में और 1947
 के प्रथम अध्याय की अनुसूचित जाति की आवश्यकता नहीं है
 यह बात आवश्यक के विचार अनुसूचित जाति में भी अनुसूचित
 जाति लक्षण में लीका किया है। अनुसूचित के विचार
 अनुसूचित का पदना आगे है कि यह स्थापना रूप में
 है यह किलो ग्राम मुद्रा को विक्रय पत्र का अधिका
 नहीं है। नई विचारणीय विचार यह है कि यह विक्रय
 पत्र 1946 में स्थापित किया गया है और उस समय
 किलो ग्राम स्थापना जागतिक मुद्रा का जो लक्षण
 मुद्रा के स्थापना में उस विक्रय पत्र की किलो ग्राम
 स्थापना में नहीं है। यह विक्रय पत्र किलो ग्राम
 के पदना में 1946 में स्थापित किया गया और किलो ग्राम
 में पदना 49 एम के अनुसूचित जाति की अनुसूचित जाति
 विधायी को यह रूप 1963 में विक्रय किया है। किलो
 ग्राम में 1946 का स्थापना 1963 में स्थापना



Kan Bahadur

22/12/23


पुस्तक संख्या
दिनांक

विश्व विद्यापीठ, मुंबई

पुस्तक संख्या
दिनांक

(5)

गणराज्य की स्थापना की जाए 46 वर्षों के लिए आया जिनमें से
 का उल्लेख किया गया है कि यह एक वर्ष के
 उत्तराधिकार में किया जाए के लिए एक का उदाहरण
 लिखा गया है कि वह? निम्नलिखित श्रेणी का पहला उत्तराधिकार
 2.7.46 को किया गया और निम्नलिखित नया मुद्रा,
 मूल्य मुद्रा, निर्दिष्ट मुद्रा और अन्य मुद्रा उत्तराधिकार के लिए
 का मुद्रा के रूप में यह विक्रम पर निबन्धन पर है कि
 उत्तराधिकार के लिए में किया गया था किता और विक्रम
 दोनों ही अनुसूचित जनजातों के लिए में और 1447
 के लिए अनुसूचित जातों के अनुसूचित जातों का आवश्यकता नहीं है
 यह बात आवश्यक के लिए अनुसूचित जातों में भी अपने
 लिखित रूप में लिखा गया है। आवश्यक के लिए
 अनुसूचित जातों का यह आदेश है कि वे उत्तराधिकार में
 कि एक ही वर्ष के लिए उत्तराधिकार का अधिकार
 नहीं है। नई विचारणीय कि-5 यह है कि यह विक्रम
 पर 1946 में निर्धारित किया गया था और उदाहरण
 इसके उत्तराधिकार में उत्तराधिकार का उदाहरण
 मुद्रा के लिए उत्तराधिकार में उत्तराधिकार का उदाहरण
 उत्तराधिकार में उत्तराधिकार में उत्तराधिकार का उदाहरण
 के लिए में 1946 में निर्धारित किया गया था और उत्तराधिकार
 में उत्तराधिकार का उदाहरण में उत्तराधिकार का उदाहरण
 विक्रम का यह श्रेणी 1963 में विक्रम किया है कि
 लिखित में 1946 का उत्तराधिकार 1963 के उत्तराधिकार



22/1/23


भावेन वीच पदाधिकारी का हस्ताक्षर

भावेन वीच की वही फाईलिंग कि जाने में विषयकी, वाचिक के साथ ।

(४)

आदि... नई लगाना जो...
 आदि... नई लगाना है और नई प्रमाणीत किया गया है
 कि 1963 में... लीन के लिए... 1966 में विक्रय
 पत्र... के... लम्पसुम...
 नई... प्रमाणीत नही किया गया कि...
 विपरीत के...
 लम्पसुम का।

विपरीत...
 को... 50 लाख...
 अर्थात्... 83 R 15 के...
 देवी... म...
 किया गया...
 वरन्...
 प्रत्येक...
 उन...
 निर्णय...
 की...
 उन...
 नई...
 उन...
 352...
 उद्देश्य...
 That under see 71(c) the transfer is done with
 the consent of all commissioners concerned.



[Handwritten signature]

13
19
4

संख्या ११२-१५५० वी १५५१

सिद्धि वीर कार्यालय का दस्तावेज

संख्या ११२-१५५० वी १५५१

6A

be amended under sec 71 (b) because this sec 46
clause d and sec 71 (b) has different force
and different legislative intention.

अतः संसदीय कार्य के अन्तर्गत में यह

निश्चित है कि वर्तमान कानून निम्नलिखित संसदीय कानून 337
के अन्तर्गत के अन्तर्गत कानून 49 के अन्तर्गत असाध्य

प्रधान कानून 11 R 6 II of 1962-63 के दिनांक 11/1/63

के अन्तर्गत के अन्तर्गत असाध्य के अन्तर्गत

19/3/63 को निम्नलिखित विधायक द्वारा विधायी प्रक्रिया

द्वारा विधायी प्रक्रिया में विधायक / असाध्य

के अन्तर्गत के अन्तर्गत असाध्य के अन्तर्गत

द्वारा 1963 के अन्तर्गत के अन्तर्गत असाध्य

असाध्य के अन्तर्गत के अन्तर्गत असाध्य

द्वारा प्रक्रिया के द्वारा करवाया गया है

अतः संसदीय कार्य के अन्तर्गत में यह

द्वारा प्रक्रिया के अन्तर्गत के अन्तर्गत असाध्य


असाध्य के अन्तर्गत के अन्तर्गत असाध्य

द्वारा प्रक्रिया के अन्तर्गत के अन्तर्गत असाध्य

मार्तण्ड

20/11/74
Sp. Officer SDR
Karnal

असाध्य, असाध्य, असाध्य



29/5/75

Scanned Photo copy

विश्वविद्यालय अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 छोटा नागपुर डेनन्सी (संशोधन)
 अधिनियम 1969 के अधीन भूमि प्राप्ति के लिए

आवेदन - पत्र

सेवा में,
 उपायुक्त,

1 आवेदक का पूरा ब्योरा -
 नाम - श्री उडा लाल ख. जगन्नाथ मुन्डा (श. रातवदाडु उडा (डा सुकरा
 उडा (डा जेजनाथ मुन्डा (श. ताम्पुन उडा (श. खिमोन उडा
 पिता का नाम - स्व. तंगू मुन्डा (श. रामदेव उडा (श. सुकरा उडा (श. ललाम-खिमोन उडा
 जाति का नाम - मुन्डा (श. नरका मुन्डा (श. गये उडा (श. ललाम-खिमोन उडा


ग्राम - गोरखवादी थाना - वीरमातु अनुमण्डल - सदा जिला - राँची
 2 क्या आवेदक अनुसूचित जन-जाति के सदस्य हैं - हाँ
 3 वापस ली जाने वाली जमीन का पूरा विवरण -
 खाता संख्या 88 राजस्व थाना सं. 9-2 प्लॉट नं. - 336
 रकबा - 56 बीघे


4 जिस व्यक्ति को दखल में जमीन है उसका पूरा ब्योरा -
 नाम - सिद्धिक मिश्रा पिता का नाम - जगदेव लो गोष्ठी गरी 9/1
 जाति - मुसलमान ग्राम - हड़गाडी मुसुन थाना - वीरमातु वंचल - राँची
 अनुमण्डल - सदा जिला - राँची
 5 वापस ली जाने वाली जमीन के अन्तर्ण सम्बन्धी विवरण -

(क) जमीन के अन्तर्ण की तिथि -- 90-94 साल
 (ख) क्या जमीन की अन्तर्ण निवन्धित विक्री पत्र (रजिस्टर्ड डीड) बन्धक, लिज, गिफ्ट या ठेका आदि द्वारा किया गया है यदि हाँ तो उसका विवरण - दल, उपन के द्वारा नाजायदा विक्री करारक स्वयंका (श. करारक दलका
 (ग) क्या जमीन का हस्तर्ण में उपायुक्त का पूर्व अनुमति प्राप्त की गई थी यदि हाँ, उसका केश संख्या और तारीख - 7/1
 (घ) क्या जमीन का हस्तान्तरण छल, प्रपंच या अन्य था जायज तरीके से किया गया है। यदि हाँ तो उसका विवरण - दल, उपन के द्वारा नाजायदा विक्री करारक स्वयंका (श. करारक दलका

6 वापस ली जाने वाली जमीन की वर्तमान स्थिति -- कच्चा खपैका तलान 2-90 वर्ग से है
 क्या उस जमीन पर पक्का मकान आदि भी बनी हो तो उसके बनने की तारीख एवं उसका अनुमानित मूल्य -- कच्चा खपैका तलान 2-90 वर्ग से। इसका अनुमानित मूल्य 8000/- है।


Recd Copy on 5/12/91 at 12:00 PM





अनुसूची 14 फारम नं०-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर पदपूर्ति कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
<p>03-02-77</p>	<p>न्यायालय, श्री ओगिनल कलेमेन्ट ओडेया, वि०वि०पदा०, रांची एस.ए.आर.वा.सं. 148/09-10 अशोक मुण्डा बनाम निवारण चन्द्र दास आदेश</p> <p>श्री वापसी का यह वाद आवेदक अशोक मुण्डा पिता- स्व. महादेव मुण्डा ग्राम-तेतरटोली, थाना- बिरयातु, जिला-रांची के आवेदन के आधार पर छोट का अधीनकार द्वारा 71 "ए" के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि मौजा-तेतरटोली बिरयातु, थाना-नं. 192, खता सं. 44, प्लॉट सं. 337 रकबा- 0.57 ए. भूमि विपक्षी निवारण चन्द्र दास, पिता- नामालूम थाना-बिरयातु, कुसुमिबहार मोरहावादी थाना-बिरयातु, जिला-रांची ने छल-प्रपंच से हड़प लिया है। आवेदक अपने दावे के समर्थन में खेतधान को छाया-प्रीत दाखिल किये हैं। क्रम-पत्र के माध्यम से अपने को खेतधानी रकबा का क्लेम बताते हैं।</p> <p>इसी आधार पर विपक्षी को नोटिस करते हुए कारण-पृच्छा की मांग की गयी। नोटिस तामिला के उपरांत विपक्षी द्वारा दाखिल कारण-पृच्छा में बताया</p>	<p>रांची</p>



11/6/24


यथा स्वीकृत
राजि

गया है कि वर्ष 1963 में हरि मुण्डा पिता-जगरनाथ मुण्डा ने विविध वाद संख्या 11 आर. 8 IV/ 1962-63 में उपायुक्त की अनुमति मिलने के बाद अनवर हुसैन, पिता-सैयद अजहर हुसैन और सिद्दिक अली खान, पिता-अली राजा खान को निबंधित पट्टा द्वारा भूमि बेच दी। आवेदक के पिता-महादेव मुण्डा ने जमीन वापसी वाद सं. 158/90-91 इसी जमीन पर दायर किया था, जिसे दिनांक 30.11.94 को खारिज कर दिया गया। यह वाद पूर्व निर्णीत सिद्धांत से प्रभावित है। अतः यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 "ए" के तहत चलने योग्य नहीं है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। आर.एस.खतियान दाने मुण्डा को जगरनाथ मुण्डा के नगरपर कायमी दर्ज है। विपक्षी द्वारा दाखिल कागजात से पता चलता है कि वर्ष 1963 में हरि मुण्डा, पिता-जगरनाथ मुण्डा ने विविध वाद सं. 11 आर. 8 IV/ 62-63 के द्वारा छोटाका अधि 0 की धारा 49 के तहत उपायुक्त की अनुमति मिलने के बाद अनवर हुसैन कौरह को निबंधित पट्टा से भूमि बेच दी।

इसके अलावे इस वाद से पूर्व बाने मुण्डा पिता-स्वजगरनाथ मुण्डा वगैरहने जमीन वापसी वाद सं. 158/90-91 दायर किया था, जिसे तत्कालीन विवेक विनियमन पदाधिकारी, रांची ने दिनांक 30.11.94 को खारिज कर दिये।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 के तहत अनुमति प्राप्त भूमि पर 49 § 5 पर स्पष्ट उल्लेख है कि -



16/11

The State Govt. may, at any time within a period of twelve years from the date on which written consent is given by the Deputy Commissioner in regard to the transfer.

इसे 12 वर्षों के भीतर ही पुनर्गति दी जा सकती, राज्य सरकार के समक्ष : इसके अलावे माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस प्रश्न पर निर्णय दिया है कि धारा 49 सी.एन.टी. सफ्टले अन्तर्गत उपायुक्त को अनुमति लेकर यदि कोई जमीन का अन्तरण किया जा सके, उसे छोटानागपुर बांधकामों अधिनियम की धारा 71 "ए" के अन्तर्गत पुनर्गति नहीं दिया जा सकता है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकाशित फैसला 1990 सी.ए.टी. पृष्ठ 352 राजेन्द्रनाथ कंठूर बनायु विरुद्ध सरकार में उल्लेख किया है कि -

" That under Section 71 'A' the transfer done with the consent of Dy. Commissioner can not be annulled under Section 71 'A' because the Sec 46 clause v and Section 71 'A' had different force and different legislative intention."

इसके अलावे इस बाब में पृष्ठ सा.ए.आर.याप सी. 158/90-91 में इसी जमीन पर निर्णय दिया जा चुका है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा - Sarmistha Sinha with Meera

Prasad बनायु आरक्षण सरकार कलकत्ता-पो. १/सी.टी.नं. 6762/ 2902 एवं 6729/2902 के फैसले में स्पष्ट उल्लेख है कि -
"Chotanagpur Tenancy Act, 1908- Sec 71 'A'
subsequent application under - Earlier application



11/6/24
Sarmistha Sinha
Prasad

under- Earlier application under, dismissed by the Special Officer as well as by the appellate authority- not challenged - Became final- Subsequent application for the same relief would be hit by principles of resjudicata."



उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि यह वाद Resjudicata के सिद्धांत से भी प्रभावित है ।

विपक्षियों द्वारा दाखिल कागजातों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के आलोक में यह वाद पोषनीय नहीं है । आवेदन का जमान वापसी का आवेदन खारिज किया जाता है । अन्य कार्यों में व्यस्त रहने को वजह से विदम्ब से आदेश पारित किया गया ।

47
1973/11

[Signature]
07.02.11

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची ।



RECEIVED TO DE [unclear]

[Signature]
11/6/11

[Signature]
11/6/11

पाना *[Signature]* यथा स्वीकृत
अधिकारी